

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2016 ⁄पौष 17, 1937	
No. 35]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2016/PAUSA 17, 1937	

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 41(अ).—केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (परिवहन खंड) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (iii) तारीख 18 अक्टूबर, 1986 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 728(अ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात –

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-

(1) "1 n`<+ वाहन" शीर्षक के अधीन संख्या (iv) के पश्चात् निम्नलिखित को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

	परिवहन यानों की श्रेणी	अधिकतम स.वा.भा. (टन में)	अधिकतम सुरक्षित धुरी भार
1.	2.	3.	4.
"(v)	*एयर सस्पेंशन के साथ 2 धुरी यात्री यान अगली धुरी पर दो टायर और पिछली धुरी पर चार टायर	18.0	अगली धुरी पर 6.5 टन पिछली धुरी पर 11.5 टन"
	*यदि स्प्रिंग प्रभाव का कम से कम 75% एयर स्प्रिंग द्वारा कारित होता है तो सस्पेंशन सिस्टम को एयर संस्पेंशन सिस्टम समझा जाएगा।		

79 GI/2016 (1)

(ii) अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात : -

'स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 113 की उपधारा (3) के अनुपालन के प्रयोजन के लिए उपर यथाविनिर्दिष्ट सकल यान वजन और सुरक्षा धुरी वजन में पांच प्रतिशत तक सहनशीलता अनुज्ञात की जा सकेगी।

[सं. आर.टी-11036/92/2015-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) तारीख 18 अक्टूबर, 1996 में अधिसूचना सं. का.आ. 728(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 26 मई, 2000 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 517(अ), द्वारा उसका संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Transport Wing) number S.O. 728(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 18th October, 1996, namely:—

In the Schedule to the said notification,-

(i) Under the heading "I Rigid Vehicles", after number (iv), the following shall be inserted, namely:-

Transport Vehicles Category		Max. GVW (in Tonnes)	Maximum Safe Axle Weight
1.	2.	3.	4.
"(v)	2 axle Passenger Vehicle with Air Suspension* Two tyres on front axle and Four tyres on rear axle *A suspension system is to be consider	18.0	6.5 tonnes on Front Axle 11.5 tonnes on Rear Axle";
	as air suspension system if at least 75 the spring effect is caused by the air	5% of	

⁽ii) after the schedule, the following Explanation shall be inserted, namely:-

[No. RT-11036/92/2015-MVL] ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published vide number S.O.728(E), in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) dated 18th October, 1996, and subsequently amended vide notification number S.O.517(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), dated the 26th May, 2000.

[&]quot;Explanation. – For the purposes of this notification, the tolerance up to five per cent. in the gross vehicle weight and safe axle weight as specified above may be allowed for the purpose of compliance to sub-section (3) of section 113 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).".